

5वीं और अन्तिम किस्त के लिए मांग-पत्र
DEMAND LETTER AGAINST 5TH & FINAL INSTALMENT

(यह मांग-पत्र पहले जारी किये गये अन्तिम मांग-पत्रों का स्थान लेगा)
(This supersedes provisional Demand Letters issued earlier)

पावती सहित पंजीकृत डाक से
Registered A/D

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
स्व वित्त योजना, *Sw*
SELF FINANCING SCHEME
द्वितीय तल, ब्लॉक 'डी' विकास सदन,
2nd FLOOR, BLOCK-'D' VIKAS SADAN
मजदोंक आई.एन.ए. कालोनी,
NEAR I.N.A. COLONY

फाइल संख्या

File No.

126 (310) 90/8/2/1/11

नई दिल्ली-23

NEW DELHI-23

19

प्रेषक : सहायक निदेशक (स्व.वि.पो.)

From : Assistant Director (SFS)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

Delhi Development Authority

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु.
To : Sri/Smt./Miss

Mr. K. D. Chaudhary

36/1, Adichini Village

Main Mahrauli Rd. - N. Delhi.

विषय : स्व वित्त योजना के अन्तर्गत

रिहायशी योजना में

Sub : Allotment of flat of Category *III*

on

GF+FF

Floor in

Vasant Kunj

तल पर

श्रेणी के फ्लैट का आवंटन—5 वीं और अन्तिम किस्त के लिए मांग-पत्र।

Residential Scheme under SFS—Demand against 5th & final instalment.

महोदय/महोदया,

Dear Sir/Madam,

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि दिनांक— को निकाले गये ड्रा के आधार पर, आपको स्व वित्त योजना के अन्तर्गत रिहायशी योजना में तल पर श्रेणी II/III, कुर्सी क्षेत्रफल का फ्लैट संख्या आवंटित किया गया है।

I have pleasure to inform you that on the basis of draw of lots held on *15/7/83* you have been allotted specific flat bearing No. *9518* of Category *II/III*, plinth area *124=58* on *GF+FF* floor in *Vasant Kunj* Residential Scheme under SFS. *15-00. C/4*

2. धतः आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार धन राशि जमा करवा दें :-

You are therefore, requested to deposit the amount as detailed below :-

क) फ्लैट की कीमत	₹0	825400 = 00
a) Cost of flat	Rs.	
ख) पहले जमा की गई धन राशि	₹0	457859 = 50
b) Amount already paid	Rs.	
ग) किश्तों को देरी से जमा कराने के कारण कीमत में वृद्धि के समायोजन को जोड़े	₹0	6229 = 40
c) Add upward adjustment of cost on a/c of late payment of instalments	Rs.	
घ) देरी से निर्माण-कार्य करने के कारण कीमत में की गई कमी को घटाये	₹0	24081 = 60
d) Less downward adjustment of cost on account of late construction.	Rs.	
च) आकस्मिक व्यय के लिए रोकी गई राशि	₹0	2697 = 00
e) Amount retained for contingencies.	Rs.	
छ) प्रलेखन प्रभार	₹0	75 = 00
f) Documental charges	Rs.	
ज) सेवा शुल्क	₹0	5537 = 50
g) Service charges	Rs.	
झ) पंजीकृत एसोसियेशन/एजेंसी की सदस्यता के लिए योग्य राशि	₹0	100 = 00
h) Share money for membership of Registered Association/Agency	Rs.	
ट) निवल देय राशि	₹0	358097 = 80
i) Net amount payable	Rs.	

3. आप उपर्युक्त अनुच्छेद 2(ट) से दी गई धनराशि इस मांग-पत्र के जारी होने की तिथि से दो महीने के अन्दर जमा करा दें। उपर्युक्त समय के अन्दर धनराशि जमा न करवाने पर आपको पहले महीने के लिए 12% की दर से और अगले महीने के लिए 18% की दर से ब्याज देना होगा। एक दिन की देरी को 15 दिन और 16 दिनों की देरी को पूरे महीने की देरी मानी जाएगी। कृपया यह नोट कर लें कि यदि 4 महीनों के अन्दर भुगतान नहीं किया गया तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

The amount mentioned in para 2(i) above, may kindly be deposited within two months from the date of issue of this demand letter, failing which you will be liable to pay interest @ 12% for first month and @ 18% for next month. Delay of one day will be treated as 15 days and delay of 16 days as full month. Please note that if payment is not made within 4 months allotment shall be cancelled.

4. आपको स्थल पर फ्लैट का कब्जा आवास विभाग द्वारा जारी कब्जा-पत्र/प्राधिकार-पत्र के आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिया जाएगा। स्थल पर अधिशासी अभियन्ता से कब्जा लेने के लिए आपको प्राधिकार-पत्र आपके द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करवाने पर जारी किया जाएगा।

The possession of the flat will be given to you by the Executive Engineer at site on the basis of possession letter/authorisation letter issued by the Housing Department. The letter authorising you to take possession from the Executive Engineer at site will be issued to you on your submitting the following documents alongwith an application.

क) 2/- रु० के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प-पेपर आर्बिटरी द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र। यह शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित हो। (नमूना संलग्न है।)

a) An affidavit executed by the allottee himself/herself on the non judicial stamp paper worth Rs. 2/- duly attested by Magistrate 1st Class/Notary Public (Specimen enclosed)

ख) आपके द्वारा एफ. डी. आर. जमा कराने के सम्बन्ध में प्रमाण।

b) Proof in support of your surrendering the F.D.R.

ग) 2/- रु० के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प-पेपर पर वचन-बंध। यह वचन बंध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित हो (नमूना संलग्न है।)

c) An undertaking on non judicial stamp paper worth Rs. 2/- duly attested by Magistrate 1st Class/Notary Public (specimen enclosed).

घ) संलग्न किये गये दो फार्मों पर नमूने के हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित हों।

d) Specimen signatures on the enclosed 2 forms duly attested by the Magistrate 1st Class/Notary Public/Gazetted Officer 1st Class.

च) जिस चालान द्वारा भुगतान किया गया हो उसकी तीसरी प्रति।

e) Third copy of the challan vide which the payment has been made.

5. समानता आर्बिटरी द्वारा अधिशासी अनियन्ता से स्थल पर कब्जा स्वयं लिया जाता है, तथापि यदि आर्बिटरी स्वयं उपस्थित होकर कब्जा सेने में असमर्थ हो तो आर्बिटरी की ओर से कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है, जिसके लिए उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्लेट न खेचने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र सहित सीमित उद्देश्य के लिए "विशेष मुस्तारनामा" प्रस्तुत कराना अपेक्षित है। कृपया यह नोट कर लें कि यदि आर्बिटरी ने भारत से बाहर विदेश में शपथ-पत्र अथवा मुस्तारनामा निष्पादित किया हो और उसका प्रयोग भारत में किया जाना हो तो ये दस्तावेज केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय काउंसिल अथवा उप-काउंसिल द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने चाहिए और इन्हें स्टॉम्प कलक्टर दिल्ली से अनुप्रमाणित कराना होगा।


Normally the possession is taken by the allottee himself/herself from the Executive Engineer at site however in case the allottee is not in a position to take the same personally, the same can be taken by someone else for and on behalf of the allottee for which a Special Power of Attorney for limited purpose together with an affidavit for not having sold the flat to anyone, will be required to be submitted in addition to the above documents. Please note that in case of Power of Attorney or the affidavit is sworn by the allottee outside India to be used in India, the same may be got attested by the Indian Counsel or Vice-Counsel for representative of Central Government as the same may be and should be got attested by the Collector of Stamps Delhi.

6. कब्जा-पत्र/प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर आप स्थल कार्यालय में जाकर सम्पर्क करें और परिसर का निरीक्षण कर लें।
On receipt of possession letter/authorisation letter you may contact site office and inspect the premises.

7. जब तक स्कीम की सेवाओं का कार्य दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता, तब तक आपको वार्षिक सेवा शुल्क रु० ५५३७ का भुगतान करना होगा।

You will have to pay service charges annually Rs. 5537=5537 and the services of the schemes are handed over to M.C.D.

8. आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए कृपया आप केन्द्रीय हाल 'डी' ब्लॉक, विकास सदन (नजदीक आई.एन.ए. कॉलोनी), नई दिल्ली-110023 में सलाहकार (आवास) से सम्पर्क करें।
For necessary guidance, please contact the Counsellor (Housing) in the Central Hall, D-Block, Vikas Sadan. (Near INA Colony) New Delhi-110023.
9. दस्तावेज मांग-पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिन के अन्दर प्रस्तुत किए जाने हैं। ऐसा न करने पर आपको भूमि की लागत को छोड़कर प्लॉट की कीमत पर 2½% की दर से रकम-रखाव प्रभार भुगतान करना पड़ेगा जो कि मांग-पत्र जारी करने की तिथि से देना होगा।
The documents are to be furnished within 120 days from the date of issue of demand letter failing which you are liable to pay Maintenance charges @2½% on cost of the flat excluding the cost of land from the date of issue of demand letter.



सहायक निदेशक (स्व वित्त योजना)
Assistant Director (SFS)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
Delhi Development Authority

प्रतिलिपि :—

Copy forwarded to :

लेखाधिकारी (एच. ए. यू.—9) दि. वि. प्रा.
A.O. (HAU IX), DDA

DDA Press

सहायक निदेशक (स्व. वि. यो.)
ASSISTANT DIRECTOR (SFS)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
Delhi Development Authority